न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 57/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00231

अनवान्

1. श्री लोगर पिता माना डांगी निवासी दुर्गावतो का नोहरा घासा तहसील मावली।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगा पिता माना डांगी निवासी दुर्गावतो का नोहरा घासा तहसील मावली।
2. श्री केसु पिता माना डांगी निवासी दुर्गावतो का नोहरा घासा तहसील मावली।
3. श्री भुरा पिता माना डांगी निवासी दुर्गावतो का नोहरा घासा तहसील मावली।
4. श्रीमती रूपी पुत्री माना पत्नी नारायण डांगी निवासी झंझेला तहसील मावली।
5. श्रीमती लीला पुत्री माना पत्नी डालु डांगी निवासी गुमानपुरा तहसील वल्लभनगर।
6. श्रीमती राधी पुत्री माना पत्नी केसु डांगी निवासी रख्यावल तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का घासा तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3 से 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 11.02.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 2323, 2324, 2325 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/4 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 2298 रकबा 3 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/10 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 2214, 2216, 2217, 2218, 2219 किता 5 कुल रकबाा 34 बीघा 8 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/8 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 2215 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/8 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 2328 रकबा 5 बिस्वा उक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/12 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट 6 में वर्णित आराजी नम्बर 2178, 2182, 2184, 2242, 2299, 2300, 2302, 2310, 2326 किता 9 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में अंकित खातेदार माना पिता देवा जो मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता है, जिनका निधन हो चुका है जिनके में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 जायन्दा पुत्र–पुत्री होकर विधिक वारिसान हैं। हम उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

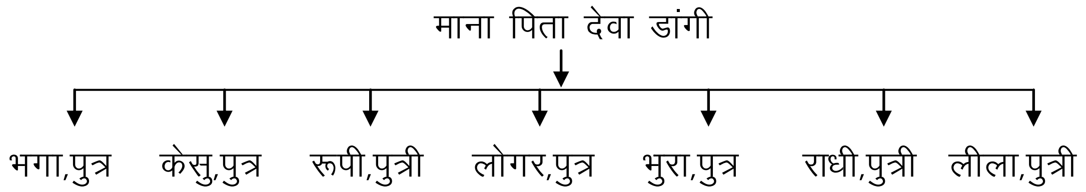

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में अंकित खातेदार माना पिता देवा के नाम दर्ज कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 की पैतृक कृषि भूमि है तथा मृतक खातेदार माना पिता देवा डांगी के नाम दर्ज भूमि पर मैं प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा हूं। मैं प्रार्थी स्वर्गीय माना जी का जायन्दा पुत्र होकर अपने पिता की समस्त चल–अचल सम्पति एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपने 1/7 हक हिस्सानुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 6 के मन में लोभ लालच की भावना जागृत होने से एवं मुझ प्रार्थी को मेरी पैतृक सम्पति से वंचित करने की नियत से मेरे पिता स्वर्गीय माना पिता देवा डांगी के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि में विरासत से केवल मात्र अपने ही नाम अंकित करा नाजायज लाभ प्राप्त करने पर आमादा हो रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि मैं प्रार्थी स्वर्गीय माना जी का जायन्दा पुत्र होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मुझ प्रार्थी का भी अपने पिता स्वर्गीय माना जी के नाम अंकित कृषि भूमि में हक व अधिकार निहित है। इसलिए मैं प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि में मृतक खातेदार माना पिता देवा डांगी के नाम दर्ज भूमि में मेरे 1/7 हक हिस्सा कृषि भूमि को मेरे नाम पर खातेदारी हक की घोषित करवा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूं जिसके लिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि स्वर्गीय मानाजी डांगी का मै प्रार्थी भी विधिक वारिसान होकर उत्तराधिकारी हूं और उनकी चल अचल सम्पति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

अपने हक हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं और प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में भी अपने पिता स्वर्गीय मानाजी के नाम अंकित भूमि पर मैं प्रार्थी अपने हिस्सानुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 6 के मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो जाने से वह अकेले ही स्वर्गीय मानाजी के नाम दर्ज कृषि भूमि को विरासत से अपने नाम पर अंकित कराने पर आमादा हो रहे है और नाजायज तरीके से मुझको मेरी पैतृक सम्पति से महरूम रखना चाह रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 से 6 धमकीया भी दे रहे है कि राजस्व अधिकारियों से उनकी अच्छी जान पहचान है इसलिए वो स्वर्गीय मानाजी डांगी के नाम अंकित भूमि को विरासत से अपने नाम पर अंकित करा कर ही रहेगे और अन्य लोगो को जमीन बेच देगे और खरीददार जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगे। जबकि इनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 से 6 स्व. माना पिता देवा जी डांगी के नाम दर्ज कृषि भूमियों में विरासत से अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे, मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंकना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.09.2020 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 6 ने स्वर्गीय माना पिता देवा डांगी के नाम अंकित भूमि को विरासत से अकेले अपने नाम पर ही अंकित कराने की धमकी दी और समझाईश करने पर भी नहीं माने, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में खातेदार माना पिता देवा डांगी के नाम दर्ज कृषि भूमि को विरासत से अपने नाम पर अंकित नहीं करावे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 से 6 उ[illegible] का नामान्तरकरण खुलाने हेतु विपक्षी संख्या 7, 8 के समक्ष प्रा[illegible] पत्र प्रस्तुत कर[illegible] तो फैसला मूलवाद विपक्षी संख्या 7, 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण नहीं खोले, न पास करे एवं ताफैसला मूलवाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 3 से 6 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम विपक्षीगण एवं विपक्षी संख्या 2 एवं प्रार्थी के पिताजी का निधन हो चुका है परन्तु प्रार्थी टिलोरा निवासी दल्ला जी के सामाजिक रितिरिवाज से गोद चला गया है वर्तमान में प्रार्थी लोगर टिलोरा ही निवास कर रहा है तथा इसी तरह विपक्षी संख्या 2 केसु भी नन्दा पिता उदा निवासी घासा के गोद गया है तथा उन्ही कि सम्पति में नामान्तरकरण नंदा के बजाय विपक्षी संख्या 2 के नाम का दर्ज हुआ है। इस तरह सजरा खानदान में लोगर व केसु जो गोद चले गये है। उन्हे गोदीना पुत्र की हैसियत से माना जी के सजरे में केवल भगा, रूपी, भूरा, राधी, लीला का ही लिखना चाहिए था। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 के गोद जाने से उक्त वर्णित कृषि भूमि में हम विपक्षीगण का ही कब्जा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर रहा है प्रार्थी। क्योंकि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 जो कि गोद चले गये है वहां कि सम्पति वह लोग मालिक बन उपयोग उपभोग कर रहे है। इस कारण से अब केवल मन में लालच आ गया कि इधर भी नामान्तरण खुलवा जमीन बेच दु इसी लोभ व लालच की भावना से ग्रसित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अगर इस बात में सत्यता नहीं होती तो नामान्तरण तो वैसे ही खुल जाता। इस तरह सारे कथन गलत अंकित किये हैं।

8. यह कि प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है तो प्रार्थी किसी तरह कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है जबकि हम विपक्षी संख्या 1, 3 से 6 का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। न ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन ही है न ही उसे कोई अशोधनीय हानि ही हैं।

9. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी क्लीन हेण्ड से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है क्योंकि प्रार्थी अपने आप को निवासी दुर्गावतो का नोहरा, घासा का बता रहा है। जबकि दला डांगी की जमीन का नामान्तरण खुलवाया है उसमें हाल निवासी टिलोरा बताया। इस तरह प्रार्थी ने तथ्य छिपाकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस कारण से भी यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। विपक्षी सेख्या 2 केसुलाल जो नंदा के गोद गया है फिर भी जानबुझकर इस तथ्य को छिपाकर यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

10. काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी लोगर एवं विपक्षी संख्या 2 केसु दोनो दला जी एवं नंदा जी के गोद चले गये है तथा वहां कि सम्पति का उपयोग उपभोग कर रहे है ऐसी सूरत में अब माना जी के जायदाद में इनका कोई हक नहीं बनता हैं। इस तरह हम विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया मामला होने से स्व. माना जी डांगी का हम विधिक वारिसान होकर उत्तराधिकारी है उनकी चल–अचल सम्पति में अपने हक हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए हम विपक्षीगण प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 माना पिता देवा जी डांगी के नाम दर्ज कृषि भूमियों में विरासत से अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे, हम विपक्षीगण को हमारे हिस्से कब्जे की जमीन में शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम विपक्षीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंकना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय हानि का बिन्दू भी हम विपक्षीगण के पक्ष में हैं।

11. यह कि हम विपक्षीगण को काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.11.20 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 ने दुर्भिसंधि कर उक्त गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा माना डांगी के नाम अंकित भूमि को विरासत से अपने नाम पर अंकित कराने कि धमकी दी तथा उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावें।

12. विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि हमारे पिता श्री माना पिता देवा डांगी के नाम पर कृषि भूमि हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदारी में अंकित होने का तथ्य स्वीकार है। हमारे पिता श्री माना जी का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिसान प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, 3 से 6 है एवं विपक्षी संख्या 2 केसु के अन्य गोद चले जाने से उसका प्राकृतिक पिता की जायदाद में कोई हक अधिकार नहीं हैं। माना पिता देवा डांगी के भगा, केसु, रूपी, लोगर, भूरा, राधी, लीला संभी जायन्दा संताने है किन्तु विपक्षी संख्या 2 केसु वर्षों पूर्व ही हमारे पिता के भाई नन्दा जी डांगी के यहां गोद चला गया और गोद जाने के वक्त से वह अपने दत्तक माता पिता के पास ही रहता रहा और नन्दाजी के पुत्र की हैसियत से ही जाना पहचाना जाता है तथा विपक्षी संख्या 2 केसु के दत्तक पिता श्री नन्दा के निधन होने पर नन्दाजी के नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमियां एवं अन्य जायदाद केसु के नाम पर दत्तक पुत्र होने से विरासत के आधार पर रद्दोबदल भी हुई हैं। इस तरह विपक्षी संख्या 2 केसु का मानाजी की वाद वर्णित कृषि भूमियों एवं अन्य जायदाद में कोई हक अधिकार गोद चले जाने के बाद कानूनन नहीं रहा है, न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 2 केसु हमारे पिता मानाजी की जायदाद में कोई हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखता है, न ही मानाजी का विपक्षी संख्या 2 विधिक वारिस हैं।

13. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमियों में माना पिता देवा डांगी के नाम दर्ज हिस्सा प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 व 3 से 6 की पैतृक कृषि भूमियां है और माना जी के प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 व 3 से 6 ही विधिक वारिसान होकर मानाजी की उक्त कृषि भूमियों एवं अन्य चल अचल सम्पतियों पर प्रत्येक वारिस 1/6–1/6 हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा मैं विपक्षीया भी माना जी की कृषि भूमियों के 1/6 हिस्सेनुसार काबिज चली आ रही हूं। विपक्षी संख्या 2 केसु नन्दाजी डांगी के गोद चले जाने से इसका मानाजी की सम्पतियों में कोई हक हिस्सा नहीं है, न ही मानाजी की किसी जायदाद पर इसका कोई कब्जा है। मुझ विपक्षीया द्वारा मानाजी की कुलिया कृषि भूमि को अपने नाम पर अंकित नहीं कराना चाहा है, न ही ऐसा कोई प्रयास मेरे द्वारा कभी किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि मानाजी के हम 6 विधिक वारिसान ही है और प्रत्येक वारिस अपने 1/6 हिस्सेनुसार माना जी की चल अचल सम्पतियों एवं उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा मैं विपक्षीया भी 1/6 हिस्सेनुसार ही मानाजी की कृषि भूमि पर काबिज चली आ रही हूं इसलिए मैं विपक्षीया उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने 1/6 हक हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकित कराने की अधिकारीणी हूं जिसके लिए मेरी ओर से आप न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं।

14. यह कि मुझ विपक्षीया द्वारा कभी भी मानाजी की भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को नाम पर अंकन करवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, न ही कभी प्रार्थी को कोई धमकी दी गई है, प्रार्थी ने सभी कथन मगढन्त अंकित किये हैं। मानाजी का प्रार्थी भी वारिस है और वह भी उसके 1/6 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है और मैं विपक्षीया भी अपने 1/6 हिस्सेनुसार काबिज चली आ रही हूं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी मेरे विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। अन्य विपक्षीगगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया प्रार्थी मेरे विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। यदि अन्य विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तो मुझ विपक्षीया को कोई आपत्ति नहीं हैं।

15. प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त काउन्टर विपक्षी संख्या [illegible] से 6 की ओर से प्रस्तुत किये जाने का कथन काउन्टर में किया गया है जबकि का[illegible] में पांच पक्षकारो के हस्ताक्षर नहीं है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

केवल दो पक्षकारो के हस्ताक्षर है। ऐसी अवस्था में जिन पक्षकारों के काउन्टर पर हस्ताक्षर नहीं है वे इस काउन्टर क्लेम के जरिये किसी भी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, न ही उनकी ओर से काउन्टर माना जा सकता हैं। विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ प्रस्तुत काउन्टर में काउन्टर क्लेम शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में काउन्टर क्लेम शब्द प्रयोग नहीं होकर काउन्टर प्रार्थना पत्र का प्रयोग होना चाहिए था।

16. यह कि मैं प्रार्थी न तो दलाजी के गोद गया हूं, न ही गोद पुत्र की हैसियत से दला जी की जायदाद का उपयोग उपभोग कर रहा हूं। वास्तविकता यह है कि दला जी मुझ प्रार्थी के रिश्ते में ससुरजी लगते है अर्थात मुझ प्रार्थी की पत्नी के पिताजी थे और दलाजी ने अपनी जायज जरूरीयात को पुरा करने हेतु मौजा गादोली में स्थित उनकी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 28.05.1985 को मुझ प्रार्थी को विक्रय की थी और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई कृषि भूमि नामान्तरकरण संख्या 624 के जरिये मुझ प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई जो कि पंजीकृत विक्रय पत्र एवं रेवेन्यु रेकार्ड से प्रकट होकर प्रमाणित हैं। इस तरह मैं प्रार्थी अपने ससुर दलाजी के गोद नहीं गया हूं बल्कि स्वर्गीय माना जी का जायन्दा पुत्र संतान हुं और अपने पिता स्वर्गीय माना जी से विरासत में प्राप्त हुई तमाम चल अचल सम्पति का अधिकार सहित नियमित रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा वाद वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय मानाजी के निहित हक हिस्से पर भी मुझ प्रार्थी का मेरे हिस्से अनुसार कब्जा काश्त होकर भुगत भोग चला आ रहा है और हर आम एवं खास की जानकारी हैं। विपक्षीगण ने बिना किसी सारवान प्रमाणित साक्ष्य के इस तरह के झूठे एवं मनगढन्त कथन मुझ प्रार्थी को मेरे पिता की जायदाद से महरूम रखने एवं मेरे जायज हक अधिकारों से वंचित करने के मकसद से ही अंकित किये है जिसमें विपक्षीगण किसी अवस्था में सफल नहीं होगे। इस प्रकार मैं प्रार्थी, स्वयं मानाजी का जायन्दा पुत्र होकर स्वर्गीय मानाजी की वाद वर्णित कृषि भूमि सहित अन्य चल अचल सम्पतियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिससे विपक्षीगण का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष में है। ऐसी अवस्था में विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है, न ही मुझ प्रार्थी को मेरे हक हिस्से की जायदाद के उपयोग उपभोग करने से रोकने का अधिकार रखते है तथा कानूनन भी मेरे विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यदि मुझ प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की ज... विपक्षीगण इसकी आड लेकर मेरे पिता से प्राप्त हुई जायदाद में निहित हुए हक ... के उपयोग उपभोग करने में व्यवधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न करेगे और बेदखल करने के प्रयास करेगे जिससे मुझ प्रार्थी को भारी क्षति एवं असुविधा होगी। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से विपक्षीगण को न तो कोई क्षति हुई है, न ही होने वाली हैं। मुझ प्रार्थी के विरूद्व विपक्षीगण को कोई काउन्टर क्लेम कारण पैदा नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की दुरभिसंधि नहीं कर रखी है, न ही दुरभिसंधि कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। विपक्षीगण महज मिथ्या काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने की नियत से मनगढन्त व कपोल कल्पित तारीख अंकित कर यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जो कि गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से विपक्षीगण को इसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। विपक्षीगण को मुझ प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम गलत एवं मनगढन्त कथनो पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

17. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3 से 6 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना मय काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता माना के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। खातेदार माना पिता देवा का स्वर्गवास हो चुका हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक सम्पति होना बताकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अतः वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के मौरूस माना के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मौरूस माना के नाम हिस्सेनुसार खातेदार के रूप में दर्ज हैं, परन्तु प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 2323, 2324, 2325 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/4 हिस्सानुसार, आराजी नम्बर 2298 रकबा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/10 हिस्सानुसार, आराजी नम्बर 2214, 2216, 2217, 2218, 2219 किता 5 कुल रकबाा 34 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/8 हिस्सानुसार, आराजी नम्बर 2215 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/8 हिस्सानुसार, आराजी नम्बर 2328 रकबा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/12 हिस्सानुसार एवं आराजी नम्बर 2178, 2182, 2184, 2242, 2299, 2300, 2302, 2310, 2326 किता 9 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान में माना पिता देवा के नाम 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। शेष हिस्सा भूमि अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक भूमि होना बताया हैं। विपक्षीगण के कथनानुसार प्रार्थी अन्यत्र गोद चले जाने से माना के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होना बताया। प्रार्थी द्वारा माना के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षीगण द्वारा गलत तरीके से विरासत के आधार पर अपने नाम दर्ज करा लेने के प्रयास से विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता माना के नाम पर दर्ज हैं। गोद जाने के तथ्य को इस प्रार्थना में तय नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का जन्म से हक निहित हैं परन्तु मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के साथ कठुराघात होगा क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 पर दर्ज आराजी नम्बर 2323, 2324, 2325 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि माना पिता देवा के नाम 1/4 हिस्सा, आराजी नम्बर 2298 रकबा 3 बिस्वा भूमि माना पिता देवा के नाम 1/10 हिस्सा, आराजी नम्बर 2214, 2216, 2217, 2218, 2219 किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा भूमि माना पिता देवा के नाम 1/8 हिस्सा, आराजी नम्बर 2215 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि माना पिता देवा के नाम 1/8 हिस्सा, आराजी नम्बर 2328 रकबा 5 बिस्वा भूमि माना पिता देवा के नाम 1/12 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 2178, 2182, 2184, 2242, 2299, 2300, 2302, 2310, 2326 किता 9 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि माना पिता देवा के नाम 1/2 हिस्सा भूमि की उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested